पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1248
दिनांक-23.07.2026

जोन-पूर्वी / थाना-चिनहट

- **थाना चिनहट की पुलिस टीम द्वारा वादी के भाई की हत्या करने वाला वाला 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **मृतक के अवशेष व मृतक की टी-शर्ट बरामद की गयी।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 19.07.2026 को पंजीकृत मु0अ0सं0-387/2026 धारा-140(1) बीएनएस धारा बढ़ोतरी-103(1)/238/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त मो0साहिल पुत्र स्व0बब्लू निवासी ग्राम हुसैनमऊ थाना देवा जनपद बाराबंकी उम्र 22 वर्ष को ग्राम हुसैनमऊ देवा बाराबंकी से हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक के अवशेष व मृतक की टीशर्ट बरामद की गयी।

02-कार्यवाही का विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 02.06.2026 को गुलफाम अहमद 22 वर्ष के गुम हो जाने के संबन्ध में गुमशुदगी संख्या-86/26 पंजीकृत होकर जांच उ0नि0 रितेश सिंह को सुपुर्द की गयी। जिसमें दिनांक-19.07.2026 को वादी इस्तीयाक अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी ग्राम ज्ञानीपुर थाना शिवगण जिला सुल्तानपुर उम्र करीब 30 वर्ष के द्वारा वादी के भाई गुलफाम अहमद 22 वर्ष का अपहरण हो जाने के सम्बन्ध पुनः तहरीर के आधार पर गुमशुदगी को तरमीम करते हुए मु0अ0सं0- 387/26 धारा-140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 रितेश सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से गुमशुदा गुलफाम अहमद की बरामदगी/अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा अभियुक्त समीर को दिनांक-20.07.2026 को गिरफ्तार कर जेल में निरूद्ध किया जा चुका है तथा गठित टीम द्वारा गुलफाम अहमद की बरामदगी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये किये गये प्रयास में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त मो0 साहिल उपरोक्त को ग्राम हुसैनमऊ देवा बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया।

जिसने कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 22.05.2026 को मैं व मेरे भाई आदिल व मेरे साथी समीर व तौफिक व गुलफाम के साथ बाराबंकी उसकी गाड़ी अर्टिगा में जाते समय गुलफाम से आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिस पर हम लोग जबरदस्ती उसे थाना क्षेत्र माती बाराबंकी नहर के किनारे जबरदस्ती ले जाकर ग्राम नईमऊ के सामने हम सभी ने मिलकर गला काटकर उसकी हत्या कर दी तथा वही झाड़ियों में शव को छुपा दिये थे गठित टीम द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर तत्समय गुमशुदा द्वारा पहने गये टीशर्ट को व गुमशुदा के अवशेष को बरामद किया गया। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

अभियोग उपरोक्त में धारा-103(1)/238/3(5) की बढ़ोतरी की गयी है। तथा मृतक की गाड़ी अर्टिगा को पूर्व में पुलिस द्वारा बाराबंकी से लावारिस में बरामद किया जा चुका है तथा अभियुक्त उपरोक्त को हिरासत पुलिस लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही का जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.मो0 साहिल पुत्र स्व0 बब्लू निवासी ग्राम हुसैनमऊ थाना देवा जनपद बाराबंकी उम्र 22 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-387/26 धारा-140(1) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ।

अभियुक्त मो0 साहिल के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01.उ0नि0 रितेश सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ।

02.उ0नि0 अभय कुमार सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ

03.हे0का0 गजेन्द्र प्रताप सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ

04.का0 आशुतोष सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ।

05.का0 विपिन कुमार थाना चिनहट जनपद लखनऊ

06.रि0का0 अफजाल थाना चिनहट जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1249
दिनांक- 23.07.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं धमकी के अभियोग में नामजद अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.07.2026 को थाना गुडम्बा पर एक 19 वर्षीय युवती द्वारा लिखित तहरीर दी गयी, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 21.07.2026 की रात्रि लगभग 10:00 बजे अभियुक्त अनस उसे अपने घर ले गया, जहाँ भय एवं धमकी देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा दिनांक 22.07.2026 को घर छोड़ते समय घटना के सम्बन्ध में किसी को बताने पर बदनाम करने की धमकी दी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 22.07.2026 की रात्रि में थाना गुडम्बा पर मु0अ0सं0 288/2026, धारा 64(1)/351(1) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर तत्काल विवेचना व0उ0नि0 श्री आलोक शुक्ल द्वारा प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान व0उनि0 श्री आलोक शुक्ला मय हमराही पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 23.07.2026 को थाना गुडम्बा के मुख्य गेट के सामने से नामजद अभियुक्त अनस पुत्र अमीन, निवासी ग्राम पैगरामऊ, थाना गुडम्बा, लखनऊ, उम्र लगभग 19 वर्ष को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त गलती की माफी मांगते हुए अपनी सफाई वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय से देना बताया ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 288/2026, धारा 64(1)/351(1) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) थाना गुडम्बा लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अनस पुत्र अमीन, निवासी ग्राम पैगरामऊ, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 19 वर्ष

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. व0उ0नि0 श्री आलोक कुमार शुक्ला
3. उ0नि0 श्री संदीप सिंह गौर
4. हे0का0 भोलेनाथ राय
5. का0 सूर्यप्रकाश यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1245
दिनांक-23.07.2026

जोन- मध्य / थाना- हजरतगंज

- **साईवज्र अभियान के अन्तर्गत 03 नफर साइबर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **गिरफ्तार अभियुक्तगणों से 23 अदद एटीएम कार्ड, 13 अदद पासबुक, 09 चेकबुक, 05 अदद फोन बरामद**
- **अभियुक्तगणों द्वारा आधारकार्ड में पता को बदल कर फर्जी पते पर लिए गये मोबाइल नम्बर का प्रयोग कर बैंकों में खाते (म्यूल अकाउन्ट) खुलवाते थे।**
- **साइबर फ्राड के माध्यम से प्राप्त धन को तुरन्त विड्राल कर अपना कमीशन लेकर साइबर अपराधियों को देते थे।**
- **अभियुक्तगणों के म्यूल अकाउन्ट में रूपये 05 लाख फ्रीज कराये गये।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.07.2026 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक इंद्रपाल सिंह फौजदार प्रभारी साइबर मध्य जोन की तहरीरी सूचना पर 1. मु0अ0सं0- 154/2026 अन्तर्गत धारा 318(4)/3(5)/111(2) बीएनएस व 66(सी)आई0टी0 एक्ट थाना हजरतगंज लखनऊ बनाम

01. वरुन कांत शर्मा उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र त्रिभुन कांत शर्मा निवासी ग्राम बिसौली थाना बिसौली जनपद बदायू हाल पता- किराया का मकान सेक्टर 6 वृन्दावन, थाना पीजीआई जनपद लखनऊ,

02. प्रेम कुमार उर्फ विमल पुत्र रामबीर मूल निवासी सिठऊपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद हालपता- किराया का मकान हंसनगर कालोनी, पारा थाना पारा जनपद लखनऊ व

03. महिला अभियुक्ता बावत प्रतिवादीगण द्वारा अपने आस-पास के शहरों / गांवों के लोगों को गुमराह करके जांब दिलाने के नाम पर उनके विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाकर उनसे उनकी चैकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, नेटबैकिंग की यूजर आईडी पासवर्ड, सिमकार्ड व बैंक खातो की क्रेडेंशियल का एक्सिस लेकर उनके बैंक खातों की डिटेल अमित एवं दिनेश सिंह के टेलीग्राम के माध्यम से चाईनीज यूजरों को शेयर करने, व उनके द्वारा भारी मात्रा में साईबर ठगी का पैसा भेजे जाने के उपरान्त उन पैसे को प्रतिवादीगण द्वारा एटीएम, चैकबुक आदि के माध्यम से तुरन्त निकाल कर उस पैसे को अमित एवं दिनेश सिंह के द्वारा यूएसडीटी में कन्वर्ट कराके चाईनीज लोगो को भेजने के सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त, मध्य के निर्देशन में गठित पुलिस टीम गठित की गयी। क्राइम टीम/सर्विलांस सेल के उ0नि0 इंद्रपाल सिंह फौजदार प्रभारी साइबर मध्य जोन मय हमराह उ0नि0 अभिनेन्द्र सिंह प्रभारी क्राइम टीम/सर्विलांस सेल मध्य जोन, मुख्य आरक्षी अखिलेश कुमार, मुख्य आरक्षी आशीष मिश्र, मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह, आरक्षी बलवन्त कुमार, आरक्षी गीतेश यादव समस्त नियुक्ति स्थल क्राइम टीम/सर्विलांस थाना हजरतगंज के उ0नि0 स्वतन्त्र पटेल साइबर हेल्पडेस्क प्रभारी हजरतगंज लखनऊ, म0हे0का0 संगीता द्वारा नामित अभियुक्तगण 01.वरुन कांत शर्मा उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र त्रिभुन कांत शर्मा निवासी ग्राम बिसौली थाना बिसौली जनपद बदायूं हाल पता-किराया का मकान सेक्टर 6 वृन्दावन, थाना पीजीआई लखनऊ, 02. प्रेम कुमार उर्फ विमल पुत्र रामबीर मूल निवासी सिठऊपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद हालपता- किराया का मकान हंसनगर कालोनी, पारा, थाना पारा लखनऊ व 03. महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

गहन पूछताछ से घटना में शामिल सह-अभियुक्त अमित एवं दिनेश सिंह अज्ञात का नाम बताया गया। जिनकी सम्पूर्ण जानकारी न होने के कारण पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी की जा रही है। अभियुक्तगण 01. वरुन कांत शर्मा, 02. प्रेम कुमार उर्फ विमल व 03. महिला अभियुक्ता उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगणों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 23 अदद एटीएम कार्ड, 13 अदद पासबुक , 09 चेकबुक, 05 अदद फोन बरामद किया गया। उपरोक्त अभियुक्तगणों को दिनांक 23.07.2026 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

02- पूछताछ विवरण एवं माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

01. वरुन कांत शर्मा उपरोक्त ने पूछताछ में बताया की प्रेम कुमार उर्फ विमल ने मुझे नौकरी दिलवाने के नाम पर मुझे बुलाया था तथा बताया कि तुम्हे अपने अकाउन्ट में आये पैसों को निकाल कर मुझे देना है। जिस पर तुम्हे कमीशन मिलेगा। मुझे महीने 40 से 45 हजार रूपये मिलते थे।

02. प्रेम कुमार उर्फ विमल उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि अमित एवं दिनेश सिंह के बताये अनुसार आस-पास के शहरों / गांवों के लोगों को गुमराह करके जांब दिलाने के नाम पर उनके विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाकर उनसे उनकी चैकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, नेटबैकिंग की यूजर आईडी पासवर्ड, सिमकार्ड व बैंक खातो की क्रेडेंशियल का एक्सिस लेकर उनके बैंक खातों की डिटेल अमित एवं दिनेश सिंह के टेलीग्राम के माध्यम से चाईनीज यूजरों को शेयर करना, व उनके द्वारा भारी मात्रा में साईबर ठगी का पैसा खातों में भेजे जाने के उपरान्त उन पैसे को प्रतिवादीगण द्वारा एटीएम, चैकबुक आदि के माध्यम से तुरन्त निकाल कर उस पैसो को अमित एवं दिनेश सिंह के माध्यम से यूएसडीटी में कन्वर्ट कराके चाईनीज लोगो को भेज देते थे।

03. महिला अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया की प्रेम कुमार उर्फ विमल ने मुझे नौकरी दिलवाने के नाम पर मुझे बुलाया था तथा बताया कि तुम्हे अपने अकाउन्ट में आये पैसों को निकाल कर मुझे देना है। जिस पर तुम्हे कमीशन मिलेगा। मुझे महीने 40 से 45 हजार रूपये मिलते थे।

03- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. वरुन कांत शर्मा उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र त्रिभुनकांत शर्मा निवासी ग्राम बिसौली थाना बिसौली जनपद बदायू हाल पता- किराया का मकान सेक्टर 6 वृन्दावन, थाना पीजीआई जनपद लखनऊ,
2. प्रेम कुमार उर्फ विमल पुत्र रामबीर मूल निवासी सिठऊपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद हालपता- किराया का मकान हंसनगर कालोनी, पारा थाना पारा जनपद लखनऊ,
3. महिला अभियुक्ता

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 154/2026 अन्तर्गत धारा 318(4)/3(5)/111(2) बीएनएस व 66 (सी) आईटी एक्ट थाना हजरतगंज लखनऊ।

05-आपराधिक इतिहास-

- ***अभियुक्तों के अन्य अपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।***

06- बरामदगी विवरण–

- 23 अदद एटीएम कार्ड
- 13 अदद पासबुक
- 09 चेकबुक
- 05 अदद मोबाइल फोन

07- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 इंद्रपाल सिंह फौजदार प्रभारी साइबर, मध्य जोन, कमि0 लखनऊ
- उ0नि0 अभिनेन्द्र सिंह प्रभारी क्राइम टीम/सर्विलांस सेल, मध्य जोन, कमि0 लखनऊ
- उ0नि0 मनोज कुमार मिश्र चौकी प्रभारी पार्क रोड, थाना हजरतगंज लखनऊ
- उ0नि0 स्वतन्त्र पटेल साइबर हेल्पडेस्क प्रभारी हजरतगंज लखनऊ
- मुख्य आरक्षी अखिलेश कुमार क्राइम टीम/सर्विलांस सेल मध्य जोन, कमि0 लखनऊ
- मुख्य आरक्षी आशीष मिश्र क्राइम टीम/सर्विलांस सेल मध्य जोन, कमि0 लखनऊ
- मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह क्राइम टीम/सर्विलांस सेल मध्य जोन, कमि0 लखनऊ
- मुख्य आरक्षी दिलीप कुमार थाना हजरतगंज लखनऊ
- म0हे0का0 संगीता थाना हजरतगंज हजरतगंज लखनऊ
- आरक्षी बलवन्त कुमार क्राइम टीम/सर्विलांस सेल मध्य जोन, कमि0 लखनऊ
- आरक्षी गीतेश यादव क्राइम टीम/सर्विलांस सेल मध्य जोन, कमि0 लखनऊ
- रिक्रूट आरक्षी मनोज कुमार सिंह थाना हजरतगंज हजरतगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1246
दिनांक- 23.07.2026

जोन- मध्य / थाना- हुसैनगंज

- **थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाला अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार**

01- संक्षिप्त विवरण -

थाना हुसैनगंज पर शिकायतकर्ता / वादिनी के द्वारा यह सूचना दी गयी कि प्रतिवादी गोविन्द द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर कोल्डिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व मारपीट कर, गाली-गलौज करना तथा जाने से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना हुसैनगंज पर मु0अ0सं0- 0122/2026 धारा 69/115(2)/123/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत हुआ ।

पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाई करते हुये 24 घण्टे के अन्दर मुखबिर की सूचना पर थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गोविन्द पुत्र श्री देवी लाल निवासी वर्तमान पता किराये का मकान 104/89 सफदरगंज लाल कुँआ थाना कैसरबाग लखनऊ स्थायी पता ग्राम तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज गोण्डा को उसके किराये के मकान से दिनांक 22.07.2026 को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

03-अनावरित अभियोग -

1. मु0अ0सं0 0122/2026 धारा 69/115(2)/123/351(3)/352 बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. गोविन्द पुत्र श्री देवी लाल निवासी वर्तमान पता किराये का मकान 104/89 सफदरगंज लाल कुँआ थाना कैसरबाग लखनऊ स्थायी पता ग्राम तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज गोण्डा उम्र करीब 24 वर्ष।

06 - गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह यादव, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
3. उ0नि0 सुहैल अहमद, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
4. हे0का0 आशीष शुक्ला, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
5. का0 अजय कुमार, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1250
दिनांक- 23.07.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-इन्दिरानगर

- **थाना इन्दिरानगर लखनऊ में निवास कर रहे जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत निवास कर रहे अभियुक्त सुमित रावत उर्फ आदित्य पुत्र लवकुश रावत उम्र करीब 23 वर्ष जो मा0न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) लखनऊ के वाद सं0 55(21)/2025 सरकार बनाम सुमित रावत उर्फ आदित्य पुत्र लवकुश रावत अन्तर्गत धारा- 10 अधि0 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 थाना इन्दिरानगर, लखनऊ के प्राविधानों के तहत आपराधिक गतिविधियो में संलिप्तता पाये जाने के कारण **दिनाँक 30.01.2026 को मा0न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ, श्रीमती अपर्णा कुमार, द्वारा** अभि० सुमित रावत उर्फ आदित्य को जनपद की **सीमाओं से छः माह के लिये निष्कासित** किया गया था।

दिनांक 22.07.2026 को अमराई गांव तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया तथा थाना हाजा लाकर दाखिल किया गया तथा जिसके विरूद्ध मु0अ0सं0 0191/2026 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. सुमित रावत उर्फ आदित्य पुत्र लवकुश रावत निवासी पुराना शिवाला अमराई गांव थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष

03-आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 0489/2023 धारा 147, 323, 324, 452, 504, 506 भादवि थाना चिनहट लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 0067/2020 धारा 323,336,504,506 थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 0167/2021 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 0378/2023 धारा 147, 148, 323, 341, 504 भादवि थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 0418/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
6. मु0अ0सं0 0060/2024 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
7. मु0अ0सं0 0144/2024 धारा 323, 352, 504, 506 भादवि थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
8. मु0अ0सं0 0321/2024 धारा 191(2), 191(3), 288, 351(2), 352 बीएनएस थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

9. मु0अ0सं0 0081/2025 धारा 115(2), 117(2), 351(2), 352 बीएनएस थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

10.मु0अ0सं0 0102/2025 धारा 115(2), 140(3), 351(2) बीएनएस थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

04- अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इन्दिरानगर लखनऊ-

1.श्री बृजेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

2. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

3.उ0नि0 श्री विकास कुमार सिंह, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

4.उ0नि0 श्री शशि कपुर , थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

5. मु0आ0 अखिलेश शर्मा, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1247

दिनांक-23.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना- जानकीपुरम

- **थाना जानकीपुरम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

मा0न्यायालय द्वारा निर्गत गैरजमानती वारंट वाद श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ /विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट) लखनऊ द्वारा जारी- वाद सं0 2472/19 अ0सं0 510/18 धारा 135 ई0सी0 एक्ट से सम्बन्धित वांरटी/अभियुक्त कमल पुत्र स्व0चन्द्रिका प्रसाद निवासी काजीटोला मड़ियाव गांव जानकीपुरम थाना जानकीपुरम लखनऊ को दिनांक 23.07.2026 हिरासत पुलिस में लिया गया।

वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एंव विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-संबन्धित वाद -

वाद सं0 2472/19 अ0सं0 510/18 धारा 135 ई0सी0 एक्ट

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कमल पुत्र स्व0 चन्द्रिका प्रसाद निवासी काजीटोला मड़ियाव गांव जानकीपुरम थाना जानकीपुरम लखनऊ (व्यवसाय –मजदूरी)।

05 -गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना जानकीपुरम लखनऊः-

1. उ0नि0 कृष्णानन्द राय
2. हे0का0 सर्वेश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1251

दिनांक- 23.07.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मड़ियांव

- **थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा वादी मुकदमा को डरा धमकाकर उसके साथ मारपीट कर उससे रूपये ले लेने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 14.06.2026 को आवेदक श्री आशुतोष तिवारी पुत्र गंगा प्रसाद तिवारी निवासी 614/230 प्रीती नगर अन्ना मार्केट थाना मड़ियांव लखनऊ द्वारा बावत विपक्षीगण द्वारा वादी के साथ हथियार दिखाकर 2000रू/- मांगना मना करने पर गाली गलौज, मारपीट करना तथा वादी की मोटरसाइकिल को वादी से डरा धमकाकर चलवा कर ले जाना तथा आगे चलकर वादी को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 278/2026 धारा 191(2)/191(3)127(2)/308(5)/352/351(2) बीएनएस बनाम 1. अमित वर्मा पुत्र मथुरा 2. आयुष पण्डित पुत्र अज्ञात 3. कौशल गाजी पुत्र अज्ञात 4. फहीम गाजी पुत्र अज्ञात 5. सुधीर पुत्र अज्ञात 6. सुरेन्द्र पुत्र अज्ञात 7. अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.07.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा मुखविर खास की सूचना पर संबन्धित अभियुक्त को जगलाल पेट्रोल पंप के पास से मुखविरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम फहीम पुत्र नौसाद उम्र 27 वर्ष निवासी पुराना दाउद नगर पीली कालोनी के पास 60 फिटा रोड थाना मड़ियांव लखनऊ तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राज राजपूत उर्फ सुरेन्द्र राजपूत पुत्र स्व0 मेवालाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गाजीपुर बलराम थाना मड़ियांव लखनऊ बताया।

पकड़े गये अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियमानुसार दिनांक 22.07.2026 को हिरासत पुलिस में लिया गया। **शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है।**

दौराने कार्यवाही मुकदमा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया।

आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। *अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य जनपदों एवं थानों से जानकारी की जा रही है।*

03.अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्तगण जबरदस्ती रास्ते में रोककर डरा धमकाकर पैसा ले ले लेना।

04.गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

01. फहीम पुत्र नौसाद उम्र 27 वर्ष निवासी पुराना दाउद नगर पीली कालोनी के पास 60 फिटा रोड थाना मड़ियांव लखनऊ (व्यव्साय – दूध का काम)

02. राज राजपूत उर्फ सुरेन्द्र राजपूत पुत्र स्व0 मेवालाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गाजीपुर बलराम थाना मड़ियांव लखनऊ (व्यव्साय – खेती)

05. गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 श्री राजदीप चौधरी
3. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार गौड़
4. हे0का0 अवधेश कुमार सिंह
5. का0 रिंकू कुमार
6. का0 नरेन्द्र प्रताप

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1244
दिनांक-23.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना विभूतिखण्ड

ऑपरेशन CY-VAJRA के तहत विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर संचालित फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर के विरुद्ध सर्विलांस /क्राइम टीम पूर्वी जोन व थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम की कार्यवाही।

- **विदेशी नागरिकों को साइबर ठगी का शिकार बनाने वाले फर्जी अन्तरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का पर्दाफाश।**
- **एसओजी (क्राइम टीम) पूर्वी जोन एवं थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम की कार्रवाई में कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड सहित 04 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **फर्जी "Apple Customer Support" वेबसाइट व VOIP सिस्टम के माध्यम से विदेशी नागरिकों को बनाया जाता था साइबर ठगी का शिकार।**
- **अमेरिकी सरकारी अधिकारी, FTC एवं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बनकर पीड़ितों को धमकाकर की जाती थी धन उगाही।**
- **फर्जी वेबसाइट का गूगल पर विज्ञापन कर प्रदर्शित कराया जाता था कस्टमर सपोर्ट नम्बर—"000 800 100 9009"।**
- **31 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 02 राउटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं ₹18.50 लाख नकद बरामद।**
- **गिरोह द्वारा VOIP, फर्जी दस्तावेजों, स्क्रिप्ट एवं हवाला के माध्यम से संचालित किया जा रहा था अन्तरराष्ट्रीय साइबर ठगी का नेटवर्क।**

---

1. कार्रवाई का विवरण (Operation Procedure)

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे **विशेष अभियान ऑपरेशन "CYVAJRA"** के क्रम में, **पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर** के निर्देशन, संयुक्त **पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार** के पर्यवेक्षण तथा **पुलिस उपायुक्त, पूर्वी डॉ0 दीक्षा शर्मा** के मार्गदर्शन एवं **अपर पुलिस उपायुक्त, श्री अमोल मुरकुट** व **सहायक पुलिस आयुक्त, विभूतिखण्ड, सौम्या पाण्डेय** के नेतृत्व में **सर्विलांस /क्राइम टीम पूर्वी जोन व थाना विभूतिखण्ड पुलिस** टीम, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा एक महत्वपूर्ण एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए थाना विभूतिखण्ड क्षेत्र स्थित **साइबर हाइट बिल्डिंग, चतुर्थ तल, फ्लैट संख्या 420ए, जलवा बार के सामने, थाना विभूति खण्ड, लखनऊ में** संचालित एक संगठित **अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर के विरुद्ध सफलतापूर्वक कार्यवाही किया गया।**

इस कार्रवाई में ऐसे संगठित साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है, जो तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से **संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिकों** को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी कर रहा था।

कार्यवाही के दौरान कुल **04 नफर अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया तथा साइबर अपराध में प्रयुक्त बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए।

दिनांक 22.07.2026 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र सिंह मय हमराह पुलिस बल के साथ नियमित वाहन चेकिंग (Drunk and Drive चेकिंग) अभियान के अंतर्गत साइबर हाइट बिल्डिंग, जलवा बार के सामने, थाना विभूति खण्ड क्षेत्र में तैनात थे।

दिनांक/समय: 23.07.2026 को लगभग 02:00 बजे रात्रि — मुखबिर खास द्वारा सूचना; लगभग 02:55 बजे रात्रि — ***एसओजी (क्राइम टीम) पूर्वी जोन एवं थाना विभूतिखण्ड की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की कार्यवाही निम्नवत की गयी -***

- स्थान: साइबर हाइट बिल्डिंग, चतुर्थ तल, फ्लैट संख्या 420ए, जलवा बार के सामने, थाना विभूति खण्ड, लखनऊ
- सूचना का स्रोत: मुखबिर खास — फ्लैट में फर्जी कॉल सेंटर संचालित होने व विदेशी नागरिकों को साइबर ठगी का शिकार बनाए जाने की सूचना
- कार्यवाही: सूचना पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए गए तथा पूर्वी जोन की क्राइम टीम को सम्मिलित कर टीम गठित की गई। पैदल जाकर वीडियोग्राफी करते हुए फ्लैट के अंदर प्रवेश किया गया, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद गेट खोलकर तलाशी ली गई
- पंजीकृत धाराएँ: 3(5), 61(2), 318(4), 319(2), 319(4), 336(3), 337, 338, 339, 340(2) BNS एवं धारा 66C, 66D IT Act, s. 42 Telecommunication Act

2. अभियुक्त विवरण (Accused Details)

मौके से 04 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार किए गए -

क्र.सं.	नाम	पता/संबंध	भूमिका
1	सूरज त्रिपाठी पुत्र कृष्ण कुमार	निवासी ग्राम संग्रामगंज, तहसील पट्टी, थाना देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ | मो0नं0 9601430572	मालिक/मास्टरमाइंड — कॉल सेंटर संचालक
2	विवेक पाण्डेय	सूरज त्रिपाठी का रिश्तेदार (बुआ का लड़का)	संचालक — स्थान व्यवस्था, डायलर रिक्रूटमेंट, कर्मचारी प्रबंधन
3	राहुल त्रिपाठी	सूरज त्रिपाठी का रिश्तेदार (मामा)	संचालक — स्थान व्यवस्था, डायलर रिक्रूटमेंट, कर्मचारी प्रबंधन
4	आकाश अरुण दत्ता उर्फ रिक्की	नाला सुपरा, वेस्ट मुंबई, महाराष्ट्र	तकनीकी विशेषज्ञ — फर्जी वेबसाइट/VOIP सिस्टम संचालन

3. कार्यप्रणाली (Modus Operandi)

अभियुक्त सूरज त्रिपाठी वर्ष 2012-13 में अहमदाबाद में डायलर के रूप में कार्य करते हुए कॉल सेंटर के कार्य से परिचित हुआ। इसके बाद टेलिग्राम पर कॉल सेंटर से संबंधित समूहों से जुड़कर विदेशी नागरिकों को ठगने हेतु फर्जी कॉल सेंटर संचालन का षड्यंत्र रचा।

- तकनीकी सहयोग हेतु आकाश अरुण दत्ता उर्फ रिक्की को तथा प्रबंधन/संचालन हेतु अपने रिश्तेदारों विवेक पाण्डेय व राहुल त्रिपाठी को साथ लिया।
- गूगल पर विज्ञापन (Ad-sense) के माध्यम से "Apple Customer Support" फर्जी वेबसाइट को प्रमोट किया जाता था, जिससे खोज करने पर फर्जी नंबर "000 800 100 9009" पहले परिणाम के रूप में प्रदर्शित होता था।

- इस नंबर पर कॉल करने वाले विदेशी नागरिकों की कॉल VOIP सिस्टम के माध्यम से कॉल सेंटर पर पहुँचती थी, जहाँ प्रथम स्तर के कॉलर (डायलर/ओपनर) पीड़ित का डेटा वेरीफाई कर कॉल को "क्लोजर" के पास स्थानांतरित करते थे।
- क्लोजर द्वारा भिन्न-भिन्न स्क्रिप्ट के माध्यम से — कभी लालच देकर, कभी अमेरिकी सरकारी अधिकारी (जैसे FTC, सुप्रीम कोर्ट) बनकर — पीड़ितों को धमकाकर धन उगाही की जाती थी।
- धनराशि अमेरिका में बैठे गिरोह के साथियों द्वारा गिफ्ट कार्ड, सोना या नगदी के रूप में प्राप्त कर हवाला के माध्यम से लखनऊ में सूरज त्रिपाठी व साथियों तक पहुँचाई जाती थी।
- पकड़ में न आने हेतु गिरोह समय-समय पर मोडस-ऑपरेंडी व स्क्रिप्ट बदलता रहता था। सामान्य कॉलर/एजेंटों को केवल यह बताया जाता था कि वे एक वैध अमेरिकी कंपनी की कस्टमर सपोर्ट सेवा में कार्यरत हैं, वास्तविक ठगी की जानकारी उन्हें नहीं दी जाती थी।
- संपूर्ण लेन-देन नगद में होता था; कॉल टेकर/एजेंटों को भी नगद भुगतान किया जाता था।

साक्ष्य / चैट स्क्रीनशॉट (Evidence Screenshots)

नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट पीड़ितों को भेजे गए फर्जी दस्तावेज़ों तथा अभियुक्त आकाश अरुण दत्ता के लैपटॉप पर प्राप्त फर्जी "Apple Customer Support" सर्च परिणाम (नंबर 000 800 100 9009) को दर्शाते हैं |

फर्जी FTC पहचान पत्र भेजकर नकद राशि की मांग

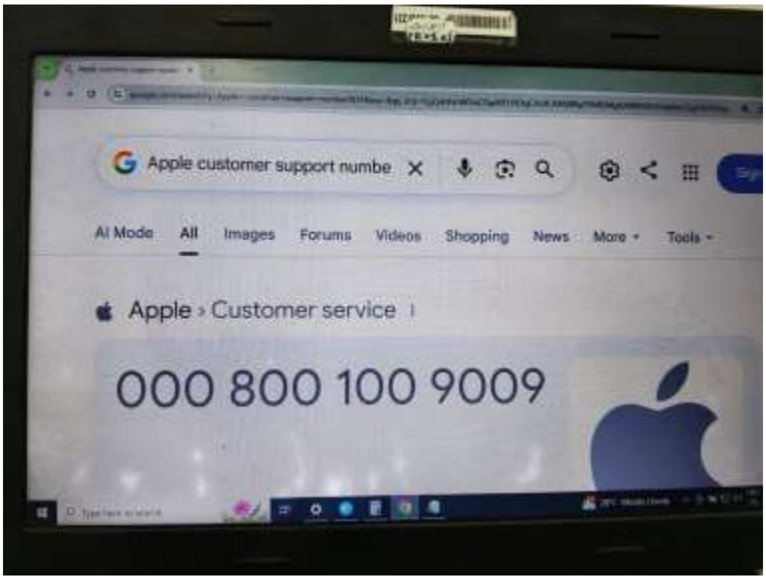

फर्जी FTC अधिकारी बनकर पीड़ित से पहचान पत्र व नकदी की तस्वीर मंगवाना

फर्जी "NDA / गोपनीयता अनुबंध" के माध्यम से पीड़ित को बाध्य करना

फर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट "नोटिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन" जारी कर पीड़ित को धमकाना

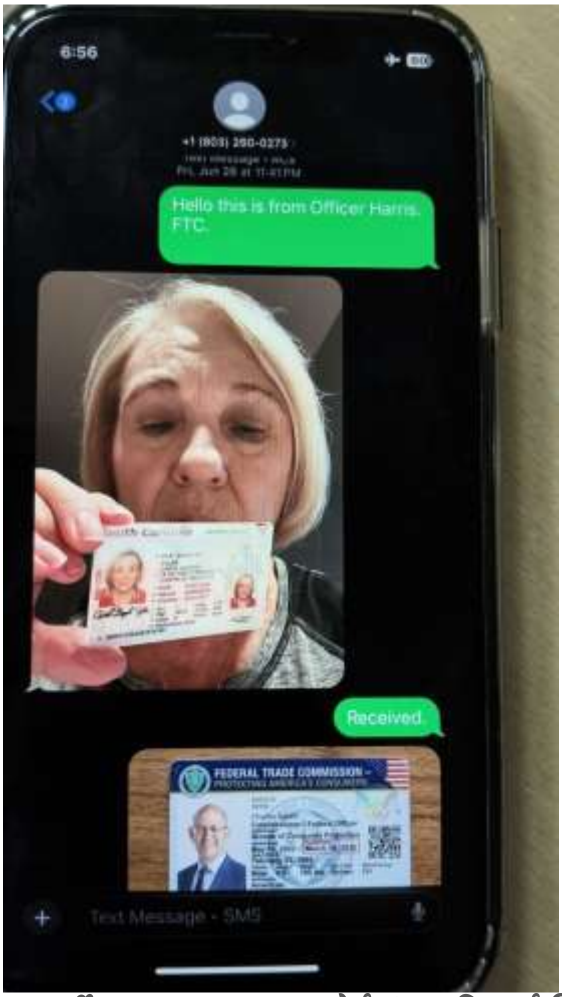

अभियुक्त के लैपटॉप पर प्राप्त फर्जी Apple कस्टमर सपोर्ट नंबर की सर्च हिस्ट्री (000 800 100 9009)

4. बरामद सामग्री (Seized Material)

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	मात्रा/संख्या	टिप्पणी
1	लैपटॉप	31 अदद	विभिन्न वर्क स्टेशनों से बरामद
2	कम्प्यूटर माउस	32 अदद	
3	मोबाइल फोन	14 अदद	
4	लैपटॉप चार्जर व हेडफोन	अभियुक्तों/एजेंटों की संख्यानुसार	
5	नगदी	रु0 18,50,000/- (अट्ठारह लाख पचास हजार रुपए) अभियुक्त सूरज त्रिपाठी की कार Hyundai Verna (काला रंग, नं0 UP32PU0036) से बरामद	
6	फर्जी एप्पल कस्टमर सपोर्ट वेबसाइट/यूआरएल व सर्च हिस्ट्री का प्रिंटआउट	1	अभियुक्तों के हस्ताक्षर सहित
7	राऊटर	02	

5- कॉलिंग एजेंट्स की संख्या

मौके पर कुल 35 वर्क स्टेशनों पर 35 कॉलर/एजेंट कार्यरत मिले, जिनका क्रमवार नाम-पता दर्ज कर लैपटॉप/मोबाइल जब्त किए गए। इन 35 एजेंटों में सर्वाधिक 10 एजेंट उत्तराखण्ड राज्य से, इसके पश्चात 9 एजेंट महाराष्ट्र राज्य से पाए गए। इसके अतिरिक्त गुजरात व नागालैण्ड राज्य से 3-3 एजेंट, असम व मणिपुर राज्य से 2-2 एजेंट, तथा पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों एवं नेपाल देश से 1-1 एजेंट कार्यरत पाया गया। इस प्रकार यह गिरोह विभिन्न राज्यों व नेपाल तक से युवक-युवतियों को भर्ती कर संचालित किया जा रहा था।

6-. पुलिस टीम का विवरण (Police Team Involved)

सर्विलांस /क्राइम टीम पूर्वी जोन व थाना विभूतिखण्ड पुलिस

नोट-साथ ही उक्त कार्यवाही में बड़ी संख्या में एजेंटों/कॉल टेकरों से पूछताछ कर गिरोह की कार्यप्रणाली (Modus Operandi) एवं नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में थाना चिनहट एवं थाना बीबीडी की पुलिस टीमों द्वारा भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।